

कार्यालय, प्राचार्य राजकीय महाविद्यालय मलसीसर (झुन्झुनू) राजस्थान

Email- gcmalsisar@gmail.com

क्रमांक:जीसीएम/स्था/2021-22/324

फोन नं. :- 01595246666


दिनांक: 28.10.2021

--:विज्ञप्ति :-

आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर के पत्र क्रमांक: एफ1(01)विद्या संबल/गे.फै./HRD/आकाशि/2021/1370 दिनांक 26.10.2021 एवं वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक: प. 6(2) वित्त/सा.वि.ले.नि./2021 दिनांक 30.03.2021 की अनुपालना में महाविद्यालयों में अध्ययन व्यवस्था को सुचारु बनाने के लिए राज्य सरकार द्वारा "विद्या सम्बल योजना" के अन्तर्गत निम्न विषयों में अनुभवी/योग्य व्यक्तियों को गेस्ट फ़ैकल्टी के रूप में परिपत्र के बिन्दु संख्या 4 (क) में वर्णित स्तर से बिन्दु संख्या 5 में वर्णित देय मानदेय पर बजट की उपलब्धता की शर्त के अध्याधीन आवेदन पत्र दिनांक 09.11.2021 सांयकाल 05:00 बजे तक आमंत्रित किये जाते हैं। पात्र अभ्यर्थी मूल आवेदन व्यक्तिशः या डाक द्वारा प्रेषित कर सकते हैं। इस हेतु महाविद्यालय शिक्षा सेवा नियम 1986 में सहायक आचार्य के पद के लिए निर्धारित शैक्षणिक योग्यताधारी अभ्यर्थी आवेदन करें। आवेदन पत्र का प्रारूप, न्यूनतम योग्यता, शर्तों, शपथ पत्र आदि से संबंधित अन्य जानकारी महाविद्यालय के पोर्टल <https://hte.rajasthan.gov.in/college/gcmalsisar> पर देखें।

क्र.स.	नाम महाविद्यालय	विषय का नाम
1	राजकीय महाविद्यालय मलसीसर (झुन्झुनू)	भूगोल, अंग्रेजी, राजनीति विज्ञान एवं समाज शास्त्र

प्राचार्य – राजकीय महाविद्यालय मलसीसर (झुन्झुनू)


प्राचार्य
राजकीय महाविद्यालय
मलसीसर (झुन्झुनू)

राजस्थान सरकार
आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान जयपुर

संख्या
12/6/21

क्रमांक: एफ1 ()स्था./आकाशि/गे.फे./2021 - 1255

दिनांक: 11.6.2021

प्राचार्य/नोडल अधिकारी,
समस्त राजकीय महाविद्यालय

विषय:- विद्या संबल योजना के अन्तर्गत अध्यापन कार्य हेतु गेस्ट फ़ैकल्टी आमन्त्रित करने हेतु।
संदर्भ:- वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक प.6(2) वित्त/सा. वि. लं. नि./2021 दिनांक 30.03.2021

महोदय,

वित्त विभाग के संदर्भित परिपत्र के क्रम में ऐसे महाविद्यालय जो वर्ष 2019, 2020 तथा 2021 में नवीन सृजित हुए हैं एवं ऐसे महाविद्यालय जिनमें विषय विशेष के स्वीकृत पदों में से 60 प्रतिशत पद रिक्त हैं में गेस्ट फ़ैकल्टी से अध्यापन कार्य करवाने के संबंध में दिशा निर्देश निम्नानुसार होंगे-

1. विभिन्न महाविद्यालयों में अध्यापन व्यवस्था को सुचारू बनाने के लिये राज्य सरकार द्वारा "विद्या संबल योजना" के अन्तर्गत विषय विशेषज्ञ अनुभवी व्यक्तियों को गेस्ट फ़ैकल्टी आमन्त्रित कर अध्यापन कराने हेतु वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक प.6(2)वित्त/साविलेनि/2021 दिनांक 30.03.2021 में दिये गये दिशा निर्देशों के क्रम में गेस्ट फ़ैकल्टी के द्वारा अध्यापन व्यवस्था वित्त विभाग द्वारा जारी उपर्युक्त वर्णित परिपत्र के बिन्दु संख्या 4 (क) में वर्णित स्तर से परिपत्र के बिन्दु संख्या 5 में वर्णित देय मानदेय पर बजट की उपलब्धता की शर्त के अध्याधीन की जा सकेगी।
2. ऐसे महाविद्यालयों जिनमें विषय विशेष के स्वीकृत पदों में से 60 प्रतिशत पद रिक्त हैं में महाविद्यालयों को विषय विशेष का अध्यापन गेस्ट फ़ैकल्टी के माध्यम से करवाया जा सकेगा।
3. वर्ष 2019, 2020 एवं 2021 में नवसृजित महाविद्यालयों में गेस्ट फ़ैकल्टी की व्यवस्था नोडल महाविद्यालयों द्वारा की जा जायेगी।
4. वर्तमान में प्रभावी महाविद्यालय शिक्षा सेवा नियम 1986 में सहायक आचार्य के पद हेतु निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यताधारी निजी अभ्यर्थियों/महाविद्यालय शिक्षा सेवा नियमों के अन्तर्गत सेवानिवृत्त शैक्षणिक अधिकारी को ही गेस्ट फ़ैकल्टी के रूप में लगाया जा सकेगा। निजी अभ्यर्थियों के संबंध में न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष होगी।
5. स्थानान्तरण/नवीन नियुक्ति द्वारा रिक्त पद के भरे जाने पर गेस्ट फ़ैकल्टी की व्यवस्था स्वतः समाप्त समझी जायेगी तथा किसी विषय में एक से अधिक शिक्षक के होने पर आमन्त्रित शिक्षकों को उनकी बनायी गयी वरीयता सूची में सबसे नीचे स्थान वाले शिक्षक को सबसे पहले मुक्त किया जायेगा।
6. विशेष परिस्थितियों में किसी महाविद्यालय को विषय विशेष में अध्यापन व्यवस्था हेतु विद्या संबल योजना में गेस्ट फ़ैकल्टी की आवश्यकता होने पर आयुक्तालय से गेस्ट फ़ैकल्टी की अनुमति हेतु मांग की जा सकेगी। महाविद्यालय द्वारा मांग प्राप्त होने पर सक्षम स्तर से निर्णय लेकर गेस्ट फ़ैकल्टी व्यवस्था लागू की जा सकेगी।
7. गेस्ट फ़ैकल्टी पर आमन्त्रित शिक्षक केवल कालांश के आधार पर अध्यापन कार्य ही करवायेगें, इन्हें कोई प्रशासनिक कार्य नहीं सौंपा जाना है।
8. यह दिशा निर्देश मात्र वर्ष 2021-22 के बजट सत्र हेतु ही है।

bal

विद्या सम्बलन योजनान्तर्गत गैस्ट फौकल्टी का पैनल तैयार करने के लिए वरीयता के मानदंड

क्र.सं.	शैक्षणिक रिकॉर्ड	स्कोर			
		80 प्रतिशत और उससे अधिक =21	60 प्रतिशत से कम = 19	55 प्रतिशत से कम = 16	45 प्रतिशत से कम = 10
1	स्नातक	80 प्रतिशत और उससे अधिक =21	60 प्रतिशत से कम = 19	55 प्रतिशत से कम = 16	45 प्रतिशत से कम = 10
2	अधिस्नातक	80 प्रतिशत और उससे अधिक = 25	60 प्रतिशत से कम = 23	55 प्रतिशत से कम = 20	(अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (असंपन्न वर्ग)/शारीरिक रूप से निशक्त अभ्यर्थियों के मामले में 50 प्रतिशत) से और 60 प्रतिशत से कम = 20
3	एम. फिल	60 प्रतिशत और उससे अधिक = 07	55 प्रतिशत से कम = 05	55% to less than 60% =20	(अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (असंपन्न वर्ग)/शारीरिक रूप से निशक्त अभ्यर्थियों के मामले में 50 प्रतिशत) से और 60 प्रतिशत से कम = 20
4	पी एच. डी	25			
5	जेआरएफ सहित नेट				
	नेट				
	स्लेट या सेट				
6	शोध प्रकाशन (सहकर्मी द्वारा समीक्षित अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा सूचीबद्ध जर्नल में प्रकाशित प्रत्येक शोध प्रकाशन हेतु 2 अंक)				
7	शिक्षण/पोस्ट डॉक्टरल अनुभव (प्रत्येक एक वर्ष के लिए 02 अंक) #	10			
8	पुरस्कार				
	अन्तर्राष्ट्रीय/राष्ट्रीय स्तर (अंतरराष्ट्रीय संगठनों/भारत सरकार/भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय स्तर के निकायों द्वारा दिये गये पुरस्कार)		03		
	राज्य स्तरीय (राज्य सरकार द्वारा दिये गये पुरस्कार)		02		

तथापि यदि शिक्षण/पोस्ट डॉक्टरल अनुभव की अवधि एक वर्ष से कम है तो अंको को अनुपातिक रूप से घटा दिया जाएगा।

नोट :-

- (क) (i) एमफिल पीएचडी अधिकतम - 25 अंक
(ii) जे आर एफ/नेट/सेट अधिकतम - 10 अंक
(iii) अवार्ड की श्रेणी में अधिकतम - 03 अंक

hah
अनुवृत्त 11/06.
कॉलेज शिक्षा, राज., जयपुर

राजस्थान सरकार
कार्मिक (क-ग्रुप-2) विभाग

क्रमांक.एफ. 1(2)डीओपी/ए-II/84

जयपुर, दिनांक : 31.1.2018

अधिसूचना

भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान के राज्यपाल, राजस्थान शिक्षा सेवा (महाविद्यालय शाखा) नियम, 1986 को और संशोधित करने के लिए, इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- (1) इन नियमों का नाम राजस्थान शिक्षा सेवा (महाविद्यालय शाखा) (संशोधन) नियम, 2018 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. नियम 2 का संशोधन.- राजस्थान शिक्षा सेवा (महाविद्यालय शाखा) नियम, 1986, जिन्हें इसमें इसके पश्चात् उक्त नियमों के रूप में निर्दिष्ट किया गया है, के नियम 2 में,-

(i) विद्यमान खण्ड (छ) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :-

“(छ) “आयुक्त/निदेशक” से आयुक्त/निदेशक, महाविद्यालय शिक्षा, राजस्थान अभिप्रेत है;”

(ii) विद्यमान खण्ड (झ) के पश्चात् और विद्यमान खण्ड (ञ) से पूर्व, निम्नलिखित नया खण्ड (झझ) अंतःस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :-

“(झझ) “विनियम” से समय-समय पर यथासंशोधित और राज्य सरकार द्वारा यथा अंगीकृत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (शिक्षकों एवं अन्य अकादमिक स्टाफ की विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में नियुक्ति संबंधी न्यूनतम अर्हताएं एवं उच्च शिक्षा में मानकों के अनुरक्षण संबंधी उपाय) विनियम, 2010 अभिप्रेत हैं।

(iii) खण्ड (ड) में, अंत में अभिव्यक्ति “और” जोड़ी जायेगी; और

2/2018

"39. रिक्त पद पर भर्ती के लिए विशेष उपबन्ध और कार्य-भार- (1)
अधिवार्षिकी, मृत्यु, नये महाविद्यालयों में पदों के सृजन या किसी अन्य कारण से संवर्ग में
किसी रिक्ति को केवल सहायक आचार्य के पद पर सीधी भर्ती द्वारा भरा जायेगा और
उस पद को, जो कैरियर उन्नति स्कीम (कै.उ.स्की.) के अधीन सहायक आचार्य से
सह-आचार्य और सह-आचार्य से आचार्य पर पदोन्नति के पश्चात् रिक्त हो, सीधी भर्ती
द्वारा नहीं भरा जायेगा।

(2) प्राचार्य, आचार्य, सह-आचार्य और सहायक आचार्य का कार्य-भार सरकार द्वारा
समय-समय पर यथाविहित मानकों के अनुसार होगा।

11. अनुसूची-I का प्रतिस्थापन.- उक्त नियमों से संलग्न विद्यमान अनुसूची-I के स्थान
पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :-

51

"अनुसूची-1"

क्र. सं.	पद का नाम	मर्ती की रीति प्रतिशत सहित	सीधी मर्ती के लिए चूनतम अर्हता और अनुभव	पद जिससे पदोन्नति/चयन किया जाना है	पदोन्नति/चयन के लिए न्यूनतम अर्हता और अनुभव	अभ्युक्तिता
1	2	3	4	5	6	7
प्रशासनिक पद						
1	आयुक्त/निदेशक	100% चयन द्वारा	-	प्राचार्य/संयुक्त निदेशक	सम सं. 5 में उल्लिखित पद पर 3 वर्ष का अनुभव।	सरकार किसी भी समय जब स्थिति की ऐसी मांग हो, आयुक्त/निदेशक के पद पर किसी भा.प्र.से. के अधिकारी को नियुक्त कर सकेगी।
अध्यापन पद						
2	महाविद्यालय का प्राचार्य/संयुक्त निदेशक (शैक्षणिक)	100% चयन द्वारा	-	आचार्य/सह-आचार्य/उप प्राचार्य	(i) आचार्य जो सुसंगत शाखा में पीएच.डी डिग्री रखता हो, प्राचार्य के रूप में पदोन्नति का पात्र होगा।	(i) 75% पद सह-आचार्यों/उप प्राचार्यों के पद से भरे जायेंगे और शेष 25% पद उपलब्ध आचार्यों के पद द्वारा भरे जायेंगे।

5/1

					कार्यक्रम, व्यावहारिक कौशल विकास कार्यक्रम और संकाय विकास कार्यक्रम के प्रवर्गों में से न्यूनतम एक सप्ताह की अवधि का एक पाठ्यक्रम/कार्यक्रम।				
					(iv) अनुसूची-I से संलग्न परिशिष्ट-I की सारणी-I और सारणी II (क) तथा II (ख) में यथासम्बंधित चयन समिति वही होगी जो नियम 23 में यथा विहित है।				
6	सहायक आचार्य (शै.प्र.वे. 8000)	100% पदोन्नति द्वारा	-		सहायक आचार्य (शै.प्र.वे. 7000)	विनियमों के खण्ड 6.4. 6 के अनुसार।			
7	सहायक आचार्य (शै.प्र.वे. 7000)	100% पदोन्नति द्वारा	-		सहायक आचार्य (शै.प्र.वे. 6000)	विनियमों के खण्ड 6.4.5 के अनुसार।			
8	सहायक आचार्य	100% सीधी	(i) अच्छा शैक्षणिक		-				

	भर्ती द्वारा	<p>अभिलेख साथ में किसी भारतीय विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर डिग्री स्तर पर कम से कम 55% अंक (या अंकमान पर समतुल्य ग्रेड जहाँ कहीं भी ग्रेडिंग प्रणाली अपनायी जाती है), या किसी प्रत्यायित विदेशी विश्वविद्यालय से कोई समतुल्य डिग्री।</p> <p>(ii) उपरोक्त अर्हताओं को पूर्ण</p>

51

को, जो या जिन्हें
 विश्वविद्यालय
 अनुदान आयोग
 (पीएच.डी. उपाधि
 प्रदान करने हेतु
 न्यूनतम मानदंड
 और प्रक्रिया)
 विनियम, 2009 के
 अनुसार पीएच.डी.
 डिग्री प्रदान की
 गयी है, सहायक
 आचार्य की भर्ती
 और नियुक्ति के
 लिए
 नेट/स्लेट/सेट
 की न्यूनतम मात्रता
 शर्त की अपेक्षा से
 छूट दी जायेगी।

51

राजस्थान सरकार
उच्च शिक्षा विभाग

क्रमांक: एफ1(41)स्था/आकाशि/2016/पार्ट - 1110

दिनांक 04-12-2020

संशोधन आदेश

राजस्थान शिक्षा सेवा (महाविद्यालय शाखा) (संशोधन) नियम 2018 की अनुसूची 01 के बिन्दु संख्या 08 के कॉलम संख्या 04 में कॉलेज शिक्षा विभाग में सहायक आचार्यों की सीधी भर्ती से चयन के लिये न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता एवं अर्हता का प्रावधान किया गया है। इस शैक्षणिक योग्यता में वर्णित अच्छे शैक्षणिक अभिलेख के क्रम में शिक्षा (ग्रुप-4) विभाग के पत्र क्रमांक F1 Edu.4/2010 दिनांक 21.02.2014 द्वारा परिभाषित अच्छे शैक्षणिक अभिलेख में उच्च शिक्षा विभाग के आदेश क्रमांक: एफ1(41)स्था/आकाशि/2016/पार्ट /1039 दिनांक 15.09.2020 के द्वारा एस.सी./एस.टी./दिव्यांग तथा ओ.बी.सी.(गैर समूह) श्रेणी के अभ्यर्थियों को पात्रता तथा 21.02.2014 के पत्र में परिभाषित अच्छे शैक्षणिक अभिलेख में 5 प्रतिशत अंकों की छूट प्रदान की गई थी।

शिक्षा ग्रुप-4 के पत्र दिनांक 21.02.2014 तथा उच्च शिक्षा विभाग के आदेश दिनांक 15.09.2020 में आंशिक संशोधन करते हुए उक्त आदेश में परिभाषित अच्छे शैक्षणिक अभिलेख को एतद् द्वारा प्रत्याहारित करते हुए राजस्थान शिक्षा सेवा (महाविद्यालय शाखा) (संशोधन) नियम 2018 की अनुसूची 01 के बिन्दु संख्या 08 के कॉलम संख्या 04 में वर्णित शैक्षणिक योग्यताओं के क्रम में अच्छे शैक्षणिक अभिलेख को निम्नानुसार परिभाषित किया जाता है:-

“ कला/विज्ञान/वाणिज्य संकाय हेतु गुड अकेडमिक रिकार्ड से अभिप्राय:- स्नातक स्तर पर न्यूनतम 45 प्रतिशत अंक। इसमें एस.सी./एस.टी./ओ.बी.सी. (गैर समूह) एवं दिव्यांग श्रेणी श्रेणी के अभ्यर्थियों को 5 प्रतिशत तक की छूट दी जा सकेगी।

विधि संकाय हेतु गुड अकेडमिक रिकार्ड से अभिप्राय:- विधि स्नातक परीक्षा कम से कम द्वितीय श्रेणी से उत्तीर्ण किया जाना आवश्यक है।”

दिनांक 15.09.2020 के आदेश में पी.एच.डी एवं पात्रता के संबंध में वर्णित शेष प्रावधान यथावत रहेंगे।

(शुचि शर्मा)

शासन सचिव
उच्च शिक्षा विभाग

दिनांक 04-12-2020

क्रमांक: एफ1(41)स्था/आकाशि/2016/पार्ट-1110

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री उच्च शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
2. संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा (ग्रुप-3) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
3. संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा (ग्रुप-4) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
4. आयुक्त, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।

(शुचि शर्मा)

शासन सचिव
उच्च शिक्षा विभाग



राजस्थान सरकार
वित्त (सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम) विभाग



क्रमांक : प.6(2)वित्त/साविलेनि/2021

जयपुर, दिनांक : 30-03-2021

परिपत्र

विषय : विभिन्न विभागों द्वारा संचालित शिक्षण संस्थानों-विद्यालयों, महाविद्यालयों, आवासीय विद्यालयों एवं छात्रावासों में विषय विशेषज्ञ अनुभवी व्यक्तियों को गैस्ट फ़ैकल्टी के रूप में लेने के लिये "विद्या संबल योजना" के संबंध में दिशा-निर्देश एवं प्रक्रिया।

संस्थापक
मनोज कुमार

विभिन्न विभागों में शिक्षण कार्यों में शिक्षकों/प्रशिक्षकों के रिक्त पद होने के कारण नियमित अध्यापन कार्य में व्यवधान उत्पन्न होता है एवं विद्यार्थियों के शैक्षिक स्तर पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। इन संस्थानों में अध्यापन व्यवस्था को सुचारु बनाने के लिए "विद्या संबल योजना" लागू की जा रही है, जिसके क्रम में निम्नांकित सामान्य निर्देश जारी किए जाते हैं :-

1. विभाग द्वारा प्रतिवर्ष शैक्षिक सत्र आरंभ होने से पूर्व रिक्त पदों का आंकलन किया जाएगा। इन पदों पर नियमित नियुक्ति हेतु अभ्यर्थना तैयार कर भर्ती हेतु निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए भर्ती संस्था को भेजी जाएगी। नियुक्ति प्रक्रिया में विलंब को देखते हुए विभाग नियमों में प्रावधित अत्यावश्यक अस्थाई आधार पर नियुक्ति की प्रक्रिया भी पृथक् से आरंभ कर सकेगा।

इन दोनों प्रक्रियाओं के पूर्ण होने में लगने वाले समय को ध्यान में रखते हुए विभाग गैस्ट फ़ैकल्टी के माध्यम से अध्यापन कार्य निम्न निर्देशों का पालन करते हुए करा सकेंगे।

2. गैस्ट फ़ैकल्टी केवल स्वीकृत रिक्त पद के विरुद्ध ली जा सकेगी। विभाग का मुख्यालय जिलेवार और संस्थावार गैस्ट फ़ैकल्टी की आवश्यकता का आंकलन कर प्रत्येक जिला मुख्यालय पर विभाग का नोडल अधिकारी मनोनीत कर, यह विवरण नोडल अधिकारी को उपलब्ध कराएगा।
3. संबंधित सेवा नियमों में अंकित योग्यता आदि की पात्रता रखने वाले सेवानिवृत्त कार्मिक/निजी अभ्यर्थियों को गैस्ट फ़ैकल्टी के रूप में लगाया जा सकेगा।
4. गैस्ट फ़ैकल्टी/चयन प्रक्रिया :

(क) संस्थान प्रधान सीधे ही अपने स्तर पर संस्था में रिक्त चल रहे पदों पर संबंधित सेवा नियमों में अंकित योग्यता आदि की पात्रता रखने वाले सेवानिवृत्त कार्मिक/निजी अभ्यर्थियों का परिपत्र में वर्णित दरों पर बजट उपलब्धता की शर्त के अधधीन गैस्ट फ़ैकल्टी रख सकेंगे।

अथवा

(ख) जिलास्तरीय समिति के माध्यम से :

- I. प्रत्येक जिले में एक जिला स्तरीय समिति होगी जिसके अध्यक्ष जिला कलक्टर अथवा उनके द्वारा मनोनीत अधिकारी होंगे। इस समिति का सदस्य सचिव संबंधित विभाग का जिला स्तरीय अधिकारी अथवा विभागीय नोडल अधिकारी होगा।
- II. शैक्षिक सत्र के आरंभ होने से पूर्व जिला मुख्यालय पर उक्त समिति द्वारा सार्वजनिक सूचना तैयार कर निर्धारित योग्यता रखने वाले अभ्यर्थियों से ब्लॉकवार-संस्थावार आवेदन आमंत्रित किये जायेंगे। उक्त समिति निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक परीक्षा में प्राप्त प्राप्तांकों के आधार पर वरीयता सूची तैयार करेगी तथा वरीयता सूची के आधार पर गैस्ट फ़ैकल्टी की सेवाएं वरीयता क्रम में उनकी उपलब्धता के आधार पर ली जायेगी।
- II. चयन समिति का संबंधित विभाग के लिए जिला स्तर पर योग्य अभ्यर्थियों का पैनल तैयार किया जाएगा। प्रत्येक रिक्ति के विरुद्ध यथासंभव 3 अभ्यर्थियों का पैनल तैयार किया जाएगा। यह पैनल ब्लॉकवार होगा जिसमें विषयवार, कक्षावार आवश्यकता का ध्यान रखा जाएगा।

5. गैस्ट फ़ैकल्टी हेतु देय मानदेय की दरें :

विद्यालय/प्रशिक्षण संस्थान :


पद (अध्यापक/प्रशिक्षक)	कक्षा	प्रति घंटा मानदेय	अधिकतम मासिक मानदेय
ग्रेड-III	1 से 8	300/-	21000/-
ग्रेड-II	9 से 10	350/-	25000/-
ग्रेड-I	11 से 12	400/-	30000/-
अनुदेशक	-	300/-	21000/-
प्रयोगशाला सहायक	-	300/-	21000/-

विश्वविद्यालय/महाविद्यालय/तकनीकी महाविद्यालय/पॉलिटेक्निक कॉलेज :

पद	प्रति घंटा मानदेय	अधिकतम मासिक मानदेय
सहायक आचार्य	800/-	45000/-
सह आचार्य	1000/-	52000/-
आचार्य	1200/-	60000/-

6. गैस्ट फ़ैकल्टी की सेवाएं लिये जाने हेतु विभाग द्वारा समुचित शर्तों का समावेश करते हुए संलग्न प्रारूप अनुसार शपथ-पत्र लिया जाना सुनिश्चित किया जावेगा।

7. गैस्ट फौकल्टी के कार्य की समुचित मॉनिटरिंग की व्यवस्था कर उनके संतोषजनक कार्य संत्यापन के आधार पर भुगतान की कार्यवाही की जावेगी।
8. रिक्त पद भरे जाने पर उपरोक्त व्यवस्था स्वतः समाप्त समझी जावेगी।
9. चूंकि छात्रावासों में शिक्षकों के पद सृजित नहीं होते हैं, अतः छात्रावासों में कठिन विषयों की कोचिंग के लिए रिक्त पदों संबंधी बाध्यता नहीं होगी। कोचिंग के लिए संस्था प्रधान सीधे ही अपने स्तर से अथवा उक्त चयन प्रक्रिया का पालन करते हुए इस हेतु उपलब्ध बजट प्रावधान सीमा तक तथा बिंदु संख्या 5 में वर्णित दरों के अनुसार भुगतान कर सकेंगे।




(डॉ. पृथ्वी)
शासन सचिव, वित्त (बजट)

संलग्न : उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. सचिव, राज्यपाल/प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री/विशिष्ट सहायक समस्त मंत्रीगण/राज्य मंत्रीगण ।
2. उप सचिव, मुख्य सचिव/निजी सचिव, समस्त अति. मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/ शासन सचिव/विशिष्ट शासन सचिव ।
3. सचिव, राजस्थान विधानसभा, राजस्थान, जयपुर ।
4. सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, राजस्थान, जयपुर ।
5. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर ।
6. रजिस्ट्रार, राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर/जयपुर ।
7. प्रधान महालेखाकार ए एण्ड ई राजस्थान जयपुर ।
8. प्रधान महालेखाकार ऑडिट राजस्थान जयपुर ।
9. समस्त संयुक्त शासन सचिव/उप शासन सचिव/सचिवालय के समस्त अनुभाग/विभाग ।
10. समस्त विभागाध्यक्ष/जिला कलक्टर/संभागीय आयुक्त ।
11. रजिस्ट्रार, राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर ।
12. समस्त वित्तीय सलाहकार/मुख्य लेखाधिकारी ।
13. समस्त कोषाधिकारी ।
14. समस्त उपापन संस्थाएं।
15. तकनीकी निदेशक वित्त विभाग को भेजकर लेख है परिपत्र को वित्त विभाग की वेबसाइट पर प्रकाशित करवाने की व्यवस्था करावें।
16. रक्षित पत्रावली।



(विमल कुमार गुप्ता)
संयुक्त शासन सचिव

(GF&AR - 04/2021)